

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 299
दिनांक 5 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों को कार्यशील बनाना

***299. श्री रावसाहेब पाटील दानवे:**

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अनुमोदित/स्वीकृत और कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति दिए जाने के बावजूद भी उन्हें कार्यशील नहीं बनाया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस अंतर के क्या कारण हैं;
- (घ) ऐसे अंतर को दूर करने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव आंगनवाड़ी केन्द्रों में विधवाओं को रोजगार प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ङ.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

"आंगनवाड़ी केन्द्रों को कार्यशील बनाना" विषय पर श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2016 को पूछे जाने लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : गत 3 वर्षों के दौरान संचयी रूप से संस्वीकृत किए गए प्रचालित गैर-प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी) के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी) की संख्या (संचयी)		
	संस्वीकृत	प्रचलनात्मक	गैर-प्रचलनात्मक
2013-14	1374935	1342146	32789
2014-15	1400000	1346186	53814
2015-16	1400000	1349563	50437

राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं ।

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के योजनाबद्ध मानकों के अनुसार, भारत सरकार योजना तथा नीति संबंधी मुद्दों के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है । देश में संस्वीकृत तथा प्रचलनात्मक आंगनवाड़ी केंद्रों के बीच अंतर मुख्यरूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों द्वारा व्यापक रूप से प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक तथा कानूनी विलंब के कारण हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों से संस्वीकृत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों के शीघ्र प्रचालन हेतु अपेक्षित सभी उपाय करने हेतु बार-बार दबाव डाला है ।

आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन सहित आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन की सतत रूप से निगरानी निर्धारित मासिक तथा वार्षिक-रिपोर्टों, पुनरीक्षाओं तथा पर्यवेक्षी दौरों आदि के माध्यम से की जाती है । प्राप्त हुए इनपुट/पुनर्निवेशन के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कमियों को दूर करने और स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार करने जिसमें अंतर को पाटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रचालित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकरण में सुधार करना शामिल है, के लिए पत्रों तथा पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से सलाह दी जाती है ।

आंगनवाड़ी केंद्रों(ए.डब्ल्यू.सी) के कार्यकरण में सुधार करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण-विकास मंत्रालय के अभिसरण में पूरे देश में अगले चार वर्षों में (2019 तक) 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों के निर्माण को शामिल करने के लिए संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए थे । इन आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल तथा सफाई की सुविधाएं 14 वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध निधियों से प्रदान की जाएंगी ।

वर्ष 2015-16 में, अभिसरण के अंतर्गत कुल 29,941 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा वर्ष 2016-17 में 98,048 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने मैसर्स वेदान्ता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए हैं जिसके अंतर्गत कम्पनी 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के बहुत पिछड़े हुए जिलों में अपने ही संसाधनों से 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण करेगी ।

(ड.) : जी, नहीं । आंगनवाड़ी केंद्रों में विधवाओं को रोजगार प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है । तथापि, आईसीडीएस के मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका स्थानीय गांव की महिला होनी चाहिए और समुदाय में वह स्वीकार्य होनी चाहिए ।

"आंगनवाड़ी केन्द्रों को कार्यशील बनाना" विषय पर श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2016 को पूछे जाने लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के भाग (क), (ख) और (ग) में संदर्भित विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान देश में संस्वीकृत, प्रचालित तथा गैर-प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14			2014-15			2015-16		
		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या			आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या			आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		
		संस्वीकृत	प्रचालित	गैर-प्रचालित	संस्वीकृत	प्रचालित	गैर-प्रचालित	संस्वीकृत	प्रचालित	गैर-प्रचालित
1	आंध्र प्रदेश	91307	90757	550	55607	55574	33	55607	55599	8
2	तेलंगाना				35700	35353	347	35700	35621	79
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6028	197	6225	6028	197	6225	6028	197
4	असम	62153	62153	0	62153	62153	0	62153	62153	0
5	बिहार	91968	91677	291	115009	91677	23332	115009	91677	23332
6	छत्तीसगढ़	64390	49651	14739	52474	49941	2533	52474	52474	0
7	गोवा	1262	1262	0	1262	1260	2	1262	1260	2
8	गुजरात	52137	51116	1021	53029	52065	964	53029	52092	937
9	हरियाणा	25962	25905	57	25962	25962	0	25962	25962	0
10	हिमाचल प्रदेश	18925	18907	18	18925	18920	5	18925	18925	0
11	जम्मू व कश्मीर	28577	28577	0	31938	29599	2339	31938	29599	2339
12	झारखंड	38432	38105	327	38432	38432	0	38432	38432	0
13	कर्नाटक	64518	64518	0	65911	64558	1353	65911	64558	1353
14	केरल	33115	33112	3	33318	33115	203	33318	33115	203
15	मध्य प्रदेश	92230	91318	912	97135	91822	5313	97135	92204	4931
16	महाराष्ट्र	110486	107913	2573	110486	108010	2476	110486	108262	2224
17	मणिपुर	11510	9883	1627	11510	9883	1627	11510	9883	1627
18	मेघालय	5864	5156	708	5896	5309	587	5896	5863	33
19	मिजोरम	2244	2070	174	2244	2244	0	2244	2244	0

20	नागालैंड	3980	3455	525	3980	3455	525	3980	3455	525
21	ओडिशा	72873	71306	1567	74154	71204	2950	74154	71288	2866
22	पंजाब	26656	26656	0	27314	26656	658	27314	26656	658
23	राजस्थान	61119	59945	1174	62010	60133	1877	62010	60801	1209
24	सिक्किम	1308	1233	75	1308	1275	33	1308	1290	18
25	तमिलनाडु	55542	54439	1103	54439	54439	0	54439	54439	0
26	त्रिपुरा	9911	9911	0	10145	9911	234	10145	9911	234
27	उत्तर प्रदेश	188259	187997	262	190145	187997	2148	190145	187997	2148
28	उत्तराखंड	23159	19329	3830	20067	19430	637	20067	19506	561
29	पश्चिम बंगाल	117170	116390	780	119481	116390	3091	119481	114781	4700
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	720	710	10	720	710	10	720	720	0
31	चंडीगढ़	500	500	0	500	500	0	500	500	0
32	दिल्ली	11150	10897	253	11150	10897	253	11150	10897	253
33	दादर और नगर हवेली	281	268	13	302	282	20	302	302	0
34	दमन व दीव	107	107	0	107	107	0	107	107	0
35	लक्षद्वीप	107	107	0	107	107	0	107	107	0
36	पुडुचेरी	788	788	0	855	788	67	855	855	0
	अखिल भारत	1374935	1342146	32789	1400000	1346186	53814	1400000	1349563	50437